संख्या : 723/सी.डी./69-1-21 यू.ई.पी.ए./96

प्रेषक,

श्री सुधीर कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी/
अध्यक्ष,
जिला नागर विकास अभिकरण,
कानपुर नगर।

लखनऊ : दिनांक 11 अक्टूबर, 1996

नगरीय रोजगार एवं
गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
विभाग।

विषय : **मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 492/69-1-21 यू.ई.पी.ए./94 दिनांक 29 अगस्त, 1996 का संदर्भ करें जिसमें इस कार्यक्रम के लिए प्रस्तावित मलिन बस्तियों के सघन सर्वेक्षण व कार्यों का संज्ञान कराने का अनुराध किया गया था जिससे भारत सरकार द्वारा गाइडलाइन्स बनाये जाते ही कार्य प्रारम्भ कराया जा सके।

2. इस सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि अब यह कार्यक्रम नेशनल स्लम्स डेवलपमेन्ट प्रोग्राम (एन.एस.डी.पी.) नाम से जाना जायेगा।

3. इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये यह एक आवश्यक शर्त है कि चयनित मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों को जमीन का मालिकाना हक प्राप्त होना चाहिये। यदि सर्वेक्षण का कार्य प्रगति में है तो उसी से यह देखा जा सकता है कि क्या ऐसे लोगों को जमीन का मालिकाना हक प्राप्त है और यदि नहीं तो उसके लिये क्या कार्यवाही शीघ्रता से करायी जाय।

4. अतः अनुरोध है कि चयनित क्षेत्रों के सर्वेक्षण कार्यों का संज्ञान और साथ-साथ निवासियों के मालिकाना हक के सम्बन्ध में भी अभी से कार्यवाही प्रारम्भ करा दी जाय जिससे योजना में स्वीकृति प्राप्त होते ही कार्य कराने में विलम्ब न हो। ऐसी मलिन बस्तियों में मालिकाना हक के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति से तथा प्रस्तावित कार्यवाही से कृपया शीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुधीर कुमार)
सचिव

संख्या : 723/(1)/69-1-21 यू.ई.पी.ए./96 तददिनांक 11 अक्टूबर 96

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर।
2. निदेशक, राज्य नागर विकास अभिकरण, उ.प्र., लखनऊ।
3. उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर।
4. मुख्य नगर अधिकारी, कानपुर नगर।

आज्ञा से

(सुधीर कुमार)
सचिव।